(89)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3251–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–2–14 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील धार प्रकरण कमांक 18/अ–6/2010–11 नया प्रकरण कमांक 31/अ–6/2013–14.

करणसिंह पिता हिन्दुसिंह
निवासी ग्राम नवासा
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

1– अजय पिता चोखेलाल चौहान
निवासी ग्राम नौगांव
तहसील व जिला धार
2– जसवंतसिंह पिता करणसिंह
निवासी ग्राम नवासा
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/2/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनावेदक कमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय किये जाने के आधार पर अनावेदक कमांक 2 के स्थान पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किये जाने संबंधी संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–6/2010–11 नया प्रकरण कमांक 31/अ–6/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही

के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 26–2–14 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया, अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक भूमिस्वामी है, इसलिए अनावेदक कमांक 2 को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था । यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है, और उसके जीतेजी प्रश्नाधीन भूमि पर जसवंतसिंह का कोई अधिकार नहीं है । अंत यह आधार लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 का आवेदन पत्र को समझने में भूल की गई है, क्योंकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होकर हितबद्ध पक्षकार है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा निगरानी मेमों में उठाये गये तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण अभी विचाराधीन है, और उनके द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है । अतः यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को किसी प्रकार का कोई स्वत्व प्राप्त है तो वे तहसील न्यायालय में स्वत्व के संबंध में प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदक की ओर से प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार आवेदक को एक अवसर उपलब्ध करायें तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रमाण/साक्ष्य पर विचार कर उनके संबंध में निर्णय लेवें। उपरोक्त निष्कर्ष के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर